आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :अयोध्या,तहसील :सदर
वाद संख्या :-10545/2021
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T2021423450110545
पद्मनाभ सिंह आदि, बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006-

---

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादीगण पद्मनाभ सिंह, संदीप सिंह, दीपक सिंह पुत्रगण नरवदेश्वर सिंह निवासी ग्राम रामपुर सर्धा परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जनपद अयोध्या के द्वारा धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर प्राप्त तहसीलदार सदर की आख्या दिनॉक 26.06.2022 के आधार पर कायम किया गया।

तहसीलदार सदर की आख्यानुसार गाटा संख्या 342 मि0 रकबा 0.260 हे0 स्थित ग्राम रामपुर सर्धा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर जनपद अयोध्या, पद्मनाभ सिंह, संदीप सिंह, दीपक सिंह पुत्रगण नरवदेश्वर सिंह के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सुरक्षित श्रेणी की नहीं है तथा किसी भी राजस्व न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है और न ही उक्त भूखण्ड किसी स्थानीय निकाय अथवा प्राधिकरण द्वारा घोषित किसी महायोजना के अन्तर्गत है। उक्त भूखण्ड पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त गाटे का कोई भी अंश किसी भी विभाग द्वारा अधिग्रहीत/क्रय नही किया जा रहा है। उक्त भूमि अकृषिक प्रयोजन में है। अकृषिक प्रयोजन में होने के कारण उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–80 के तहत उक्त भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति तहसीलदार सदर द्वारा की गयी है। जांच आख्या के साथ जोत चकबन्दी आकार पत्र 41, 45 व खसरा सन् 1359 फसली दाखिल किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 26.06.2022 नकल, खतौनी एवं खसरा का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी व खसरा के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम रामपुर सर्धा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर जनपद अयोध्या में स्थित गाटा संख्या 342 मि0 रकबा 0.260 हे0 वादीगण के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सुरक्षित श्रेणी की नही है तथा किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नही है और न ही उक्त भूखण्ड किसी स्थानीय निकाय अथवा प्राधिकरण द्वारा घोषित किसी महायोजना के अन्तर्गत है। यह घोषणा केवल भू–राजस्व की दृष्टि से की जाती है। अन्य अधिनियमों एवं महायोजना पर इसका प्रभाव नही होगा। इस भूमि का प्रयोग व इस पर निर्माण अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या के महायोजना के अनुसार ही अनुमन्य होगा। इस सम्बन्ध में सचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या के पत्रांक 3200/अ0वि0प्रा0/ नियो0अनु0/2020–21 दिनॉक 11.10.2021 के अनुसार महायोजना जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार आवासीय किया विभिन्न भू–उपयोग में अनुमन्य की गयी है। उक्त गाटा आबादी से 200 मीटर त्रिज्या के अन्दर है। प्रस्तावित भूमि पूर्णरूप से अकृषिक प्रयोजन में है। सर्किल रेटलिस्ट के अनुसार निर्धारित शुल्क मु0 6750–00 रूपये जमा करके उतनी ही धनराशि का स्टाम्प दाखिल किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार सदर की आख्या के आधार पर उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में दिये गये प्रयोजनों से इतर भूमि का उपयोग होता है या धारा–80(4) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 में उल्लिखित प्राविधानों– इस धारा के अधीन उपजिलाधिकारी द्वारा कोई घोषणा जारी नहीं की जायेगी यदि उसका समाधान हो जाये कि भूमि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया जाना हो जिससे (सार्वजनिक न्यूसेंस) होने की संभावना है या सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है या महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरूद्ध हो, का उल्लंघन होता है या किसी प्रयोजनार्थ भूमि का अधिग्रहण किया जाता है अथवा आवेदक के द्वारा शपथ पत्र में दर्शाए गये कथनानुसार पॉच वर्ष की अवधि में पक्का निर्माण नही कर लिया जाता है तो अकृषिक हेतु उद्घोषित आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार सदर की आख्या एवं अन्य अभिलेखीय साक्ष्यों से सहमत होते हुए ग्राम रामपुर सर्धा, परगना हवेली अवध तहसील सदर जनपद अयोध्या की खतौनी फसली सन् 1425–1430 फसली की खाता संख्या 224 पर अंकित गाटा संख्या 342 मि0 रकबा 0.260 हे0 को उ0प्र0राजस्व संहिता की धारा 80(2) में उल्लिखित शर्तो के अधीन अकृषिक प्रयोग हेतु प्रख्यापित किया जाता है। भविष्य में यदि कोई विपरीत/प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। यदि प्रस्तावित गाटे का कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की प्रकिया में है/किया जाता है तो वह अंश इस आदेश से मुक्त होगा। तहसीलदार सदर की आख्या एवं नजरी नक्शा इस आदेश का अंग रहेगी। आदेश की अभि प्रमाणित प्रति तहसीलदार सदर/उप निबंधक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक

R.K. Shukla
2?/6/2022
उप जिलाधिकारी
सदर–अयोध्या
S.D.O.(S.)

एक रुपया ONE RUPEE भारत INDIA Rs.1 | दो रुपये TWO RUPEES भारत INDIA Rs.2 | दो रुपये TWO RUPEES भारत INDIA Rs.2 | दो रुपये TWO RUPEES भारत INDIA Rs.2

32
27/01/16

4=7-00

प्रार्थनापत्र देने का दिनांक	तैयारी दिनांक	प्राप्ति दिनांक	हस्ताक्षर
27-01-16	02-02-16	02-02-16	[signature] 2/2/16

नकल आदेश दिनांक 12-12-15 पारित कलक्टर/न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर फैजाबाद। वाद संख्या 240 कम्प्यूटरीकृत नं. T201504230171754 अन्तर्गत धारा-143 ज.वि.अ. मौजा-रामपुरभेवरी परगना हवेली अवध तहसील सदर-फैजाबाद। नर्वदेश्वर सिंह बनाम सरकार फैसला 12-12-15

नोट - न्यायालय [illegible] हो

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर-फैजाबाद

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, जनपद फैजाबाद

नर्वदेश्वर सिंह——————————बनाम——————————सरकार।

वाद संख्या–T201504230171154
कम्प्यूटर वाद सं. 240
अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0
मौजा रामपुर सर्धा, पर0 हवेली अवध,
तहसील सदर, जनपद–फैजाबाद।

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही नरवदेश्वर सिंह पुत्र भवानी भीख सिंह निवासी ग्राम रामपुर सर्धा, प्रवन्धक, ग्रामोदय महिला महाविद्यालय रामपुर सर्धा, तहसील सदर, जनपद फैजाबाद के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.11.2015 अन्तर्गत धारा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम पर प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि ग्राम रामपुर सर्धा में स्थित गाटा संख्या 342 मि0 रकबा 0.300 हे0 भूमि ग्रामोदय महिला महाविद्यालय रामपुर सर्धा के नामें दर्ज है, जिसका वह प्रवन्धक है। उक्त भूमि पर महिला महाविद्यालय वना हुआ है। अन्त में वादी द्वारा भूमि गाटा संख्या 342 मि0 रकवा 0.300 हे0 को आवादी/अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। वादी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 11.12.2015 प्राप्त होने पर वाद पंजीकृत किया गया।

तहसीलदार सदर की प्राप्त आख्या, जिसके साथ प्रश्नगत भूमि का नजरी नक्शा भी संलग्न किया गया है, का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सदर की आख्या के अनुसार गाटा संख्या 342 मि0 रकवा 0.300 हे0 भूमि, स्थित ग्राम रामपुर सर्धा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर ग्रामोदय महिला महाविद्यालय प्रवन्धक नर्वदेश्वर सिंह के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, जिस पर महिला महाविद्यालय का भवन वना हुआ है। भूमि पूर्णरूपेण अकृषिक है। तहसीलदार सदर द्वारा धारा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत भूमि गाटा संख्या 342 मि0 रकवा 0.300 हे0 स्थित ग्राम रामपुर सर्धा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर को अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या दी गई है।

श्री नर्वदेश्वर सिंह द्वारा वयान अंकित कराया गया है। उक्त वयान में कहा गया है कि गाटा संख्या 342 मि0 रकबा 0.300 हे0 महिला महाविद्यालय के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि पर महिला महाविद्यालय का भवन वना हुआ है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है, भूमि अकृषिक है। वादी निजी कार्य हेतु उक्त भूमि को आबादी/अकृषिक घोषित कराना चाहती है। अकृषिक रूप में प्रयोग में लाये जाने के कारण प्रश्नगत भूखण्ड को अकृषिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सदर की जांच आख्या, वादी के वयान एवं अन्य अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है, कि ग्राम रामपुर सर्धा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर की गाटा संख्या 342 मि0 रकवा 0.300 हे0 भूमि ग्रामोदय महिला महाविद्यालय प्रवन्धक नर्वदेश्वर सिंह के नाम संक्रमणीय भूमिधरी के रूप में अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। भूमि पूर्णरूपेण अकृषिक है। इस प्रकार तहसीलदार सदर की आख्या व वादी के वयान से स्पष्ट है कि उक्त भूमि अकृषिक प्रयोजन में लायी जा रही है तथा उस पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है, जिसे अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार सदर की आख्या एवं वादी के वयान से सहमत होते हुए ग्राम रामपुर सर्धा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर जिला फैजावाद की खतौनी फसली सन् 1419 से 1424 के खाता संख्या 205 पर अंकित गाटा संख्या 342 मि0 रकवा 0.300 हे0 भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि खाते को परता मुताविक लगान मुक्त किया जाए। आदेश की प्रति तहसीलदार सदर/उप निवन्धक सदर को अनुपालनार्थ भेजी जाए। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-12-12-15

(अमित कुमार)
उप जिलाधिकारी,
सदर–फैजाबाद

मूल लिपि से कापी किया
सत्य प्रतिलिपि
प्रतिलिपि शुल्क–300

4=7.00

2-6-2
17-3-12

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date on which Application is made for copy accompanied by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of pasting notice on notice board	नकल वापिस दिए जाने की तारीख Date of delivery of the copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy
17.03.2012	19.03.2012	19.03.2012	19-3-12

नकल आदेश दिनांक 16.03.2012 पारित द्वारा न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर, फैजाबाद। वाद संख्या 227 अन्तर्गत धारा 143 जेड.ए.ऐक्ट मौजा-रामपुर सधारी परगना हवेली अवध तहसील सदर, फैजाबाद। नवदेश्वर सिंह बनाम सरकार फैसला दिनांक 16.03.2012

नोट- नकल आदेश की छायाप्रति फोलियो के साथ संलग्न है।

न्यायालय उपजिलाधिकारी, सदर (जनपद–फैजाबाद)

नर्वदेश्वर सिंह——————————————बनाम——————————————सरकार।

वाद संख्याः 227
अन्तर्गत धारा– 143 ज0वि0अ0
ग्राम– रामपुर सर्धा, परगना–हवेली अवध,
तहसील–सदर, जनपद–फ़ैजाबाद।

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही नर्वदेश्वर सिंह प्रबन्धक, विमला सिंह मेमोरियल कालेज आफ एजूकेशन एण्ड मैनेजमेन्ट रामपुर सर्धा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर फैजाबाद के प्रार्थना पत्र पर इस आशय से प्रारम्भ हुई कि गाटा संख्या 342 मि0 रकबा 0.250 हे0 भूमि स्थित ग्राम रामपुर सर्धा मौके पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा अकृषिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। उक्त गाटे को आबादी घोषित किया जाय। वादी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर की आख्या प्राप्त होने के बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया।

तहसील की प्राप्त आख्या का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सदर द्वारा प्रदत्त की गयी आख्या में कहा गया है, कि गाटा संख्या 342 मि0 रकबा 0.250 हे0 भूमि विमला सिंह मेमोरियल कालेज आफ एजूकेशन एण्ड मैनेजमेन्ट रामपुर सर्धा द्वारा प्रबन्धक नर्वदेश्वर सिंह पुत्र भवानीभीख सिंह के नाम अंकित है। उक्त भूमि पर महाविद्यालय का भवन निर्माणाधीन है। उक्त अकृषिक प्रयोजन में है व कृषि कार्य नही हो रहा है। उक्त भूमि को नजरी नक्शा में प्रदर्शित की गयी है। धारा 143 ज0वि0अ0 के अन्तर्गत उक्त गाटे को आबादी घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट दी गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध सभी अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है, कि ग्राम रामपुर सर्धा की गाटा संख्या 342 मि0 रकबा 0.250 हे0 भूमि विमला सिंह मेमोरियल कालेज आफ एजूकेशन एण्ड मैनेजमेन्ट द्वारा प्रबन्धक नर्वदेश्वर सिंह पुत्र भवानीभीख सिंह के नाम अंकित है तथा महाविद्यालय के भवन का निर्माण हो रहा है। उक्त अकृषिक है। वादी द्वारा उक्त गाटे को आबादी घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा स्वयं का बयान अंकित कराया गया है। तहसीलदार, सदर की आख्यानुसार उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा भूमि अकृषिक है। तहसीलदार सदर की आख्या के आधार पर उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार सदर की आख्या से सहमत होते हुए ग्राम रामपुर सर्धा परगना हवेली अवध, तहसील सदर फैजाबाद की खाता संख्या 205 में दर्ज गाटा संख्या 342 मि0 रकबा 0.250 हे0 भूमि अकृषिक घोषित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है, कि खाते को परता मुताबिक लगान मुक्त किया जाय। आदेश की प्रति तहसीलदार सदर/उपनिबन्धक सदर को अनुपालनार्थ हेतु भेजी जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

16/3/12

(सुरेन्द्र सिंह)
उपजिलाधिकारी,
सदर–फैजाबाद

मिलान किया द्वारा इलेक्ट्रोस्टेट
मुकाबला किया
शब्द लगभग 300

सत्य प्रतिलिपि